संख्या : ——/जी0एस0/शिक्षा/A3-90/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

02 DEC 2019

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक —नवम्बर, 2019

महोदय,

कृपया प्रभारी कुलसचिव के पत्र संख्याः मान्यता/केयू/सम्बद्धता/08 दिनांक 04.04.2018, पत्र संख्या के0यू0/मान्यता/2019/841 दिनांक 25.10.2019 एवं कुलपति के पत्र संख्या के0यू0/मान्यता/2019/684 दिनांक 13.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **राजकीय महाविद्यालय, शीतलाखेत, अल्मोड़ा** को बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं इतिहास) पाठ्यक्रम में सत्र 2015–16 से 2016–17 एवं सत्र 2017–18 से सत्र 2019–20 तक की अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2018–19 से पूर्व के सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कुमाऊँ विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के मानकों के पूर्ण होने की दशा में इस सचिवालय के पत्र संख्या 296 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के अनुसार निर्णय लेते हुए सम्बद्धता विषयक आदेश यथाशीघ्र जारी करे व आदेश की प्रति विश्वविद्यालय द्वारा मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध कराई जाये।

3– शैक्षिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति द्वारा **राजकीय महाविद्यालय, शीतलाखेत, अल्मोड़ा** को **बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं इतिहास)** पाठ्यक्रमों में **80 सीट प्रति विषय** के साथ **सत्र 2019–20** हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान कर दी गई है कि :–

(1) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के सभी मानक पूर्ण होने की दशा में निर्णय लेते हुए सम्बद्धता विषयक आदेश जारी करेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विद्यालय की फैकल्टी की यू0जी0सी0 के मानकानुसार अर्हता का अनुमोदन विश्वविद्यालय स्तर से ही यू0जी0सी0 विनियम–2009 के विनियम 3.4 सहपठित 3.4.7 के दृष्टिगत किया जायेगा न कि उच्च शिक्षा निदेशक के स्तर से।

(2) यदि यू0जी0सी0 विनियम–2009 के विपरीत विद्यालय की फैकल्टी की अर्हता विषयक अनुमोदन उच्च शिक्षा निदेशालय स्तर से किये जाने विषयक कोई शासनादेश आदि विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध हो तों विश्वविद्यालय उसकी प्रति मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध कराते हुए फैकल्टी व अनुमोदन प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में उचित दिशा–निर्देश मा0 कुलाधिपति से प्राप्त करेगा।

4– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3122 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-90/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
कुलाधिपति के उप सचिव।